न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 28/2021

दायरा दिनांक :– 16.11.2021

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
ग्रामवासी अणेवा के प्रतिनिधिगण 1. कल्याणसिंह पुत्र श्री वेजदानजी, 2. गहिपाल पुत्र श्री मोहनसिंहजी, 3. देवीसिंह पुत्र श्री उमरदानजी, 4. रामरतनसिंह पुत्र श्री वेजदानजी, जातिगण–चारण, निवासीगण अणेवा, तहसील–देसूरी, जिला पाली राजस्थान		1. मृतक सूरजकंवर बेवा सुमेरदानजी, जाति–चारण, निवासी अणेवा का कायम मुकामः– 1/1 उदयसिंह गोदीपुत्र श्री सुमेरदानजी, जाति–चारण, निवासी अणेवा, तहसील–देसूरी जिला पाली 2. तहसीलदार देसूरी,तहसील–देसूरी जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः–

1. श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 20 सपठित नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियमन 1970) बाबत् आंवटन/नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 अदिनांकित जो उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि का सूरजकंवर बेवा सुमेरदानजी, जाति चारण निवासी अणेवा को निशुल्क नियमन किये जाने के सम्बन्ध में।

–:निर्णयः– दिनांक 10/01/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 सपठित नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि मौजा अणेवा, तहसील–देसूरी, जिला–पाली में स्थित है जिस भूमि में एक प्राचीन ऐतिहासिक पीर बाबा की दरगाह निर्मित स्थित है जहॉ ग्रामवासी अणेवा एवम् नारलाई, देसूरी के सर्वधर्म समाज के लोगो द्वारा अपने धर्म, ध्यान आस्था के प्रतीक के रूप में पूजा–अर्चना दर्शन हेतु पीढियों से आते रहे है एवम् आज भी उक्त आराजी में मौके पर पीर बाबा की दरगाह प्राचीन पीढियों पुरानी मौके पर निर्गितसुदा स्थित है जहॉ अडौस–पडौस के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारो–लाखों लोग पीर बाबा के दर्शन पूजा करते थे, रहे एवम् आज भी पीर बाबा की पूजा–अर्चना करते है तथा उक्त आराजी का उपयोग अरसे दराज से केवल मात्र पीर बाबा की बनी प्राचीन दरगाह के दर्शनार्थ एवम् पीर बाबा की दरगाह के अड़ौस–पड़ौस क्षेत्र में स्थित ग्रामवासियों मय प्रार्थीगण अणेवा की खातेदारी भूमियों के खातेदारों द्वारा रास्ता के लिये एवम् पीर बाबा के भक्तजनों के दर्शनार्थ के रूप में ली जाती रही है जिससे उक्त आराजी में ग्राम–अणेवा के ग्रामवासियों मय प्रार्थीगण के हक–हकूक निहित हो प्रभावित हो रहे है परन्तु उक्त आराजी खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टर मौजा अणेवा, तहसील–देसूरी जिला–पाली का नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 के भूमि आवंटन सलाहकार सहिति (उपखण्ड अधिकारी), देसूरी द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, नियमों एवम् कानून की मंशा के

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

खिलाफ अप्रार्थी संख्या 02 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 01 की माता सूरजकंवर बेवा सुमेरदानजी, जाति–चारण, निवासी अणेवा, तहसील–देसूरी के पक्ष में उक्त आराजी पर कब्जा–काश्त नही होने एवम् भूमिहीन काश्तकार नहीं होते हुये नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 के किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 01 की माता सूरजकंवर को किया गया उक्त नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 कानून की मंशानुसार नही होने से उक्त नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 कानूनन् काबिल निरस्त के है। नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 12.08.2002 की नकल मय तहसीलदार देसूरी की नियमन सिफारिश रिपोर्ट दिनांक 28.06.2002 वगैरह की नकलें प्रमाणित साथ पेश है एवम् आराजी में पीर बावा की दरगाह होने से उक्त आराजी के हुये नियमन को निरस्त करवाने हेतु भी ग्रामवासियों द्वारा राज्य सरकार मय राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय, पाली एवम् प्रभारी मंत्री महोदय को पेश किये गये ज्ञापन मय अखबार में जारी विज्ञप्तियों की प्रतियॉ साथ पेश है। म्यूटेशन संख्या 177,254 की नकले प्रमाणित साथ है।

2. यह है कि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टर मौजा अणेवा की भूमि का नियमन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, नियमों एवम् कानून की मंशानुसार उक्त आराजी का नियमन उपखण्ड अधिकारी, देसूरी कानूनन् बाध्य व सक्षम होते है परन्तु अदालत मातेहत उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों, नियमों एवम् कानून की मंशा के खिलाफ कब्जा विहीन अप्रार्थी संख्या 01 की माता सूरजकंवर भूमिहीन गरीब कृषक बीपीएल परिवार की सदस्य कतई नहीं थी बल्कि उक्त आराजी के नियमन के वक्त सूरजकंवर के पास ग्राम–अणेवा, तहसील–देसूरी में अन्य दीगर खातेदारी भूमि करीब 5.90 हैक्टर सिंचित खातेदारी भूमि थी वो रही जिससे राज्य सरकार द्वारा जारी नियमन हेतु परिपत्रों अनुसार 4.00 हैक्टर भूमि असिंचित भूमि नियमनसुदा आराजी को सम्मिलित करते हुये से ज्यादा नही होनी चाहिये जिसका नियमन किया जा सकता है परन्तु उक्त आराजी के नियमन के वक्त सूरजकंवर के पास करीब 5.90 हैक्टर सिंचित कृषि भूमि खातेदारी थी जो साथ पेश अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पेश नियमन सिफारिश रिपोर्ट दिनांक 28.06.2002 एवम् जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 की नकलें प्रमाणित के अवलोकन मात्र से स्पष्ट रोशन वो साबित है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि का नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 सूरजकंवर बेवा सुमेरदानजी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, देसूरी ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों, नियमों एवम् कानून की मंशा के विरूद्ध एवम् शून्य होने से कानूनन् काबिल निरस्त के है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 एवम् म्युटेशन संख्या 177 की नकलें प्रमाणित साथ पेश है।

3. यह है कि उक्त आराजी का नियमन सूरजकंवर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से मिलावट कर नियमन बावत् राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों कानून एवम् नियमों की मंशा के विरूद्ध विधि विरूद्ध तरीके से उपखण्ड अधिकारी, देसूरी से नियमन करवाया गया जिससे भी अप्रार्थी संख्या 01 की माता सूरजकंवर के पक्ष में किया गया। उक्त आराजी का नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 नियमों एवम् कानून पर आधारित नहीं होने से कानूनन् काबिल निरस्त के है।

4. यह है कि उक्त नियमनसुदार आराजी की खातेदार सूरजकंवर बेवा सुमेरदानजी का देहान्त हो जाने के पश्चात् जरिये विरासत म्युटेशन के उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 उदयसिंह गोदीपुत्र सुमेरदानजी के नाम खातेदारी अंकित की गई जिससे उक्त उदयसिंह को हाजा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 पक्षकार नियोजित किया गया है।

5. यह है कि अदालत मातेहत उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा उक्त आराजी का नियमन कोरम के अभाव में किया होने से ऐसा नियमन आदेश Void ab-initio & nunest के शून्य होने से भी कानूनन् काबिल निरस्त के है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

6. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 की माता सूरजकंवर वक्त उक्त आराजी के नियमन के वक्त गरीब कृषक बीपीएल परिवार की भूमिहीन कृषक कतई नही थी बल्कि रकबा 5.90 हैक्टर सिंचित यानि रकबा करीब 10.00 हैक्टर असिंचित के बराबर कृषि भूमि धारण कर खातेदार के रूप में उपभोग करती थी जिससे भी उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा सादिर नियमन आदेश परिपत्रों, कानून एवम् नियमों के विपरीत होने से ऐसा नियमन आदेश शून्य Void ab-initio & nunest होने से कानूनन् काबिल निरस्त के है।

7. यह है कि उक्त आराजी में पीर बाबा की प्राचीन पीढियों पुरानी दरगाह निर्मितसुदा स्थित थी, रही वो है जो आराजी काबिल काश्त न थी, न रही वो न आज भी है जिस मौके की वास्तविक स्थिति को अनदेखा करते हुये मात्र अप्रार्थी संख्या 02 की झूठी एवम् खिलाफ कानून सिफारिश नियमन रिपोर्ट दिनांक 28.06.2002 पर आधारित नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 कानूनन् काबिल निरस्त के है।

8. यह है कि उक्त आराजी के नियमन आदेश की पालना माफिक आदेश राजस्व ग्रुप–6 के पत्रांक : प7 (10)/राज./2002/6 दिनांक 07.05.2002 विन्दु संख्या 07 अनुसार जिला कलेक्टर महोदय, पाली की सहमति प्राप्त नहीं की गई जिससे भी उक्त नियमन आदेश श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली की सहमति के अभाव में कानूनन काबिल निरस्त के है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण पेशकर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र मय खर्चा वो हर्जा के स्वीकार फरमाते हुये उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा मौजा अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि निस्वत् सादिर नियमन आदेश दिनांक 12.08.2002 बहक सूरजकंवर बेवा सुमेरदानजी, जाति–चारण निवासी अणेवा, तहसील–देसूरी को निरस्त फरमाया जावें एवम् उक्त आराजी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के पीर बाबा की दरगाह के नाम किये जाने का नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाने का आदेश फरमावें।

9. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया।

10. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06.1.2022 को लिखित में प्राथमिक आपत्ति पेश की जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनि जाकर आदेशिका दिनांक 07.1.2022 में वर्णितानुसार अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति खारिज की गई। साथ ही अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को मूल प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया, जिस पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राजकिय अधिवक्ता ने अपनी सहमति जाहिर की।

11. बहस उभयपक्ष सुनि गई।

12. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया कि नियमन के वक्त मृतक सूरजकंवर के पास नियमन भूमि अलावा ग्राम अणेवा में लगभग 5.91 हैक्टेयर चाही भूमि से भी अधिक भूमि खातेदारी थी, उक्त तथ्य पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी एवं वक्त नियमन सूरजकंवर द्वारा प्रस्तुत अंडर टेकिंग व शपथ पत्र एवं तहसीलदार देसूरी की नियमन सिफारिस रिपोर्ट से प्रमाणित होता हैं अर्थात मृतक सूरजकंवर वक्त नियमन भूमिहिन काश्तकार नहीं थी।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

13. राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के आदेश क्रमांक प.6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के पास नियमन के समय कुल भूमि (जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है) 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिये। जबकि उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारि परिपत्रों, आदेशों, नियमों व कानून की मंशा के विरूद्ध जाकर मृतक सूरजकंवर जो वक्त नियमन भूमिहिन काश्तकार नहीं थी को मौजा अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि जरिये आदेश दिनांक 12.8.2002 के नियमन की गई, जो नियमन विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य हैं।

14. साथ ही प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी निवेदन किया गया कि नियम 14(4) सपठित नियम 20 आवंटन नियम 1970 के तहत् न्यायालय हाजा को ऐसे नियम विरूद्ध नियमन को निरस्त करते हुए खातेदारी अधिकार को निरस्त करने के पूर्ण अधिकार हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा मृतक सूरजकंवर को नियम विरूद्ध किया गया नियमन आदेश दिनांक 12.8.2002 खारिज किया जावे।

15. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपने आपत्ति पत्र व न्यायिक दृष्टान्तो को आधार बनाते हुए निवेदन किया की उपरोक्त प्रकरण में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को वर्ष 2008 में ही प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद उपरोक्त नियमों में आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता हैं। साथ ही निवेदन किया कि खातेदारी अधिकार मिलने से पहले ही नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

- 2021 (2) RRT 1100– खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं होगा।
- 2018 (2) RRT 1007– खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं।
- 2007 (1) RRT 18– खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने के बाद आवंटन निरस्ती की कार्यवाही पोषणीय नहीं हैं।
- 2008 (2) RRT 835– खातेदारी अधिकार काश्ताकारी अधिनियम में ही समाप्त किये जा सकते हैं। आवंटन कार्यवाही में आवंटन खारिज नही किया जा सकता हैं।
- 2007 (2) RRT 1194– खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन खारिज नहीं हो सकता हैं। केवल घोषणा वाद ही उपचार हैं।
- 2006 RRD 9– खातेदारी अधिकार केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही खारिज किया जा सकता हैं।
- 1997 RRD 195– खातेदारी अधिकार मिलने से पहले ही नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं।

16. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज करने का निवेदन किया हैं।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

17. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 मृतक सूरजकंवर द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर श्रीमान तहसीलदार देसूरी द्वारा नियमन रिपोर्टीस के बाद नियमन की जाने वाली भूमि मौजा ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि पर दिनांक 15.7.1994 से अप्रार्थी मृतक सूरजकंवर का कब्जा होने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत् श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देसूरी ने जरिये आदेश 12.8.2002 के तहत् अप्रार्थी मृतक सूरजकंवर को उक्त भूमि नियमन की जो कानून सही हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

18. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक व ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि राज्य सरकार राजस्व राजस्व (ग्रुप–6) के आदेश क्रमांक प.6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में यह स्पष्ट हैं कि किसी व्यक्ति के पास नियमन के समय कुल भूमि (जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है) 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक नही होनी चाहिये, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदि व मृतक सूरजकंवर द्वारा वक्त नियमन प्रस्तुत अंडर टेकिंग व शपथ पत्र से यह स्पष्ट होता हैं कि नियमन के वक्त अप्रार्थी संख्या 1 मृतक सूरजकंवर के पास नियमन की जाने वाली भूमि के अलावा भी लगभग 5.91 हैक्टयेर चाही भूमि थी अर्थात वक्त नियमन दिनांक 12.8.2002 को मृतक सूरजकंवर नियमन के पात्र नहीं थी, क्योंकि मृतक सूरजकंवर के पास वक्त नियमन 2 हैक्टेयर सिंचित व 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक लगभग 5.91 हैक्टेयर चाही भूमि धारित थी। अतः मृतक सूरजकंवर नियमन के अपात्र होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा मृतक सूरजकंवर को भूमि नियमन की गई हैं जो राज्य सरकार राजस्व राजस्व (ग्रुप–6) के आदेश क्रमांक प. 6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 का उलंग्न हैं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारि परिपत्रों, आदेशों, नियमों व कानून की मंशा के विरूद्ध जाकर मृतक सूरजकंवर जो नियमन के समय नियमन के पात्र नहीं थी को मौजा अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टेयर चाही भूमि जरिये आदेश दिनांक 12.8.2002 के नियमन की गई, जो विधि विरूद्ध नियमन किया जाना प्रतित होता हैं। वकिल अप्रार्थी द्वारा पेश नजिरे इस प्रकरण में लागु नही होती हैं, क्योंकि उक्त तमाम नजिरों में किये गये आवंटन जो Misrepresentation एवं Fraud तथा नियम विरूद्ध आवंटन नहीं होने से खातेदारी अधिकार निरस्त नहीं करने बाबत हैं, जबकि इस प्रकरण में नियमन विधि विरूद्ध होने से ऐसे नियमन आदेश को बहाल रखना उचित प्रतित नहीं होता हैं, जिससे ऐसे विधि विरूद्ध किये गये नियमन एवं उक्त नियमन के आधार पर दिये गये खातेदारी अधिकार विधि विरूद्ध होने से खातेदारी अधिकार निरस्त किये जा सकते हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विद्धान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजिरे इस में लागू नहीं होती हैं।

19. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा जरिये नियमन आदेश दिनांक 12.8.2002 के तहत् अप्रार्थी मृतक सूरजकंवर के पक्ष में मौजा ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि का किया गया नियमन राज्य सरकार राजस्व राजस्व (ग्रुप–6) के आदेश क्रमांक प.6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के आधार पर विधि विरूद्ध होने से उक्त नियमन आदेश दिनांक 12.8.2002 निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार देसूरी को निर्देश दिये जाते है कि मौजा ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 830 रकबा 0.54 हैक्टेयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर राज्य सरकार के खाते में इन्दाज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

अति जिला कलक्टर (सीकिंग)
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 10/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (रीडिंग)
पाली (राज.)